फैक्स

संख्या–254 / 1–10–2016–रा0–10

प्रेषक,

अनिल कुमार,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
सहारनपुर एवं लखीमपुर खीरी।

राजस्व अनुभाग–10 लखनऊः दिनॉक : [illegible] मार्च, 2016

विषय– वर्ष 2013–14 में आयी बाढ़ के फलस्वरूप जनपद सहारनपुर एवं लखीमपुर खीरी में प्रयुक्त किये गये वायु सेना के हेलीकाप्टरों के किराये के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वायुसेना निदेशालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या–26001/ एस0जी0–यू0पी0/01–02/एकाउण्ट्स, दिनांक 05.05.2014 द्वारा वर्ष 2013–14 में बाढ़ के दौरान राहत एवं बचाव कार्य हेतु जनपद सहारनपुर एवं लखीमपुर खीरी में प्रयुक्त हुये हेलीकाप्टरों के सापेक्ष किराये के मद में रू0 36,76,250/– की धनराशि स्वीकृत किये जाने का अनुरोध मुख्य सचिव उ0प्र0 शासन से किया गया था।

2– वायुसेना निदेशालय द्वारा राहत एवं बचाव कार्य के मद में किराये की मांग विषयक धनराशि की पुष्टि कमशः जिलाधिकारी सहारनपुर एवं लखीमपुर खीरी से करायी गयी। जिलाधिकारी सहारनपुर के पत्र संख्या–1508/दैवी आपदा/15–16, दिनांक 22.02.2016 द्वारा रू0 11,46,250/– तथा जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी के पत्र संख्या–तेरह/रेस्क्यू–आपदा /आपदा राहत लिपिक, दिनाक 03.08.2015 द्वारा रू0 25,30,000/– की अर्थात् कुल रू0 36,76,250/– (रूपये छत्तीस लाख छिहत्तर हजार दो सौ पचास मात्र) की पुष्टि की गयी है।

3– अतः वायुसेना निदेशालय द्वारा राहत एवं बचाव कार्य किये जाने के सापेक्ष मांगी जा रही धनराशि रू0 36,76,250/– का भुगतान करने के लिये रू0 11,46,250/– जिलाधिकारी सहारनपुर तथा रू0 25,30,000/– जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4– उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–5 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245–प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत–आयोजनेत्तर–05–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड–800–अन्य व्यय–03–स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय–42–अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

5– सम्बन्धित जि ाधिकारी द्वारा उक्त स्वीकृत धनराशि का नियमानुसार आहरण किया जायेगा तथा उक्त धनराशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से कन्ट्रोलर आफ डिफेंस एकाउण्ट्स (ए0एफ0) आर0 के0 पुरम, नई दिल्ली को त्काल उपलब्ध करायी जायेगी।

(अनिल कुमार)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

<u>संख्या:-254(1)/1-10-2016, तद दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ ।
4- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व तथा सचिव राजस्व उ0प्र0 शासन ।
5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, संगठन, उ0प्र0।
6- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी ।
7- वरिष्ठ तकनीकि निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत.यू0पी0.एनआईसी.इन पर अपलोड किये जाने हेतु ।
8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
9- नागरिक उड्डयन अनुभाग/गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(मदन मोहन)
अनु सचिव।